make available drinking water in the rural areas under the Minimum Needs Programme, Accelerated Rural Water Supply Programme and the activities under Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission. All the identified 1.61,722 'No Source' problem villages as on 1-4-1985, except 750 have already been provided safe drinking water facilities. The remaining villages are likely to be covered in 1993-94. Augmentation works are being taken up in the partially covered villages/habitations. The unserved and undeserved population is likely to be provided potable drinking water during the course of the Eighth Five Year Plan. The quality problems relating to salinity, excess fluoride, excess iron. Arsenic, etc. are also being tackled under the Sub-Missions. A scheme for central assistance for drinking water supply in small towns with population up to 20,000 (as per 1981 census) has also been introduced.

ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजनाओं में शामिल किए गए जिले

640. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत देश में कितने जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है,

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों के राज्यवार नाम क्या-क्या हैं, और

(ग) भविष्य में ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के लिये योजनाएं प्रारम्भ किए जाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना के अंतर्गत 50 जिलों को कवर किया जाना है ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए जिलों के राज्यवार नाम संलग्न विवरण I और विवरण II में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**

(ग) आय सृजन के कार्यकलापों के लिये वर्ष 1993-94 के दौरान ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) की योजना शुरू करने के लिये महिलाओं के 10,000 समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

विवरण I

1992-93 के दौरान ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) के अंतर्गत कवर किए गए जिले

क्र०	राज्य का नाम	जिले का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1. चित्तूर
		2. नलगोंडा
		3. वारंगल
2.	असम	1. धेमाजी
		2. मोरीगांव
		3. बारपेटा
		4. करीम गंज
3.	अरुणाचल प्रदेश	1. पश्चिमी कामेंग
		2. चांगलांग
4.	बिहार	1. दुमका
		2. पूर्वी सिंहभूम
5	गुजरात	1. साबरकांठा
		2. बड़ोदरा
6.	हरियाणा	1. हिसार
		2. जींद
7.	हिमाचल प्रदेश	1. ऊना
		2. हमीरपुर
8.	जम्मु और कश्मीर	1. कारगिल
9.	कर्नाटक	1. बीदर
		2. टुमकुर
		3. बेलगांव
10.	केरल	1. तिरूवनंतपुरम
11.	मध्यप्रदेश	1. जबलपुर
		2. मांडला
		3. छत्तरपुर
		4. बालाघाट
12.	महाराष्ट्र	1. अहमदनगर
		2. लातूर
		3. अकोला
		4. नागपुर
13.	मणिपुर	1. सेनापति
14.	मेघालय	1. जैंतिया हिल्स
15.	मिजोरम	1. छिमतुईपुई
16.	नागालैण्ड	1. फेक
17.	उड़ीसा	1. फूलबनी
18.	पंजाब	1. जलंधर
19.	राजस्थान	1. बीकानेर
		2. कोटा
		3. राजसमंद
20.	तमिलनाडु	1. चेंगलपटा
		2. डिंडीगुली अन्ना

21.	त्रिपुरा	1. दक्षिणी त्रिपुरा
22.	उत्तर प्रदेश	1. कानपुर देहात
		2 जालौन
		3. झांसी
		4. खीरी
		5 उन्नाव
23.	पश्चिम बंगाल	1. बीरभूम
		2. मालदा
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1. निकोबार

विवरण II

1993-94 के दौरान सर्वेक्षण तथा शिशु विकास योजना (इलाकावार) के अंतर्गत कवर किए गए जिले

क्र०	राज्य का नाम	जिले का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1. खम्मम
		2 रंगा रेड्डी
		3. विशाखापट्टनम
2.	असम	1 कामरूप
		2. जोरहाट
		3. हैलाकाण्डी
3.	अरुणाचल प्रदेश	1. निचला सुबनसीरि
		2. दिबांग घाटी
4.	बिहार	1. नालंदा
		2. भागलपुर
5.	गुजरात	1 खेड़ा
		2. गांधीनगर
		3. डांग
6.	हरियाणा	1. अंबाला
		2. पानीपत
7.	हिमाचल प्रदेश	1. किन्नौर
		2. लाहौल और स्पीती
8.	जम्मू और कश्मीर	1. लेह
9.	कर्नाटक	1. माण्डया
		2. उत्तर कन्नड़
		3. बंगलौर (देहात)
10.	केरल	1. त्रिशूर
11.	मध्य प्रदेश	1. शिवपुरी
		2. दमोह
		3. सतना
		4. सागर
12.	महाराष्ट्र	1. रत्नागिरि
		2. पुणे
		3. अमरावती
		4. परभनी
13.	मणिपुर	1. चन्देल
14.	नागालैण्ड	1. मोंन
		2. वोखा
15.	उड़ीसा	1. गंजम
		2. कियोंझर
16.	पंजाब	1. पटियाला
		2. रोपड़
17.	राजस्थान	1. जयपुर
		2. बारा
18.	सिक्किम	1. पाकयौंग सब-डिवीजन
19.	तमिलनाडु	1. कामराजर
		2. नीलगिरि
		3. नागापट्टनम
20.	उत्तर प्रदेश	1. बहराईच
		2. महराज गंज
		3. फिरोजाबाद
		4 सीतापुर
		5. सिद्धार्थनगर
		6. मुजफ्फरनगर
21.	पश्चिम बंगाल	1. मुर्शिदाबाद
		2. दार्जिलिंग

"पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम" के अन्तर्गत परियोजनाओं का ब्यौरा

641. **श्री राम भरेश यादव** : क्या ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता" नामक कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में "पेयजल और स्वच्छता" नामक कोई कार्यक्रम नहीं है । तथापि, स्वच्छ पेयजल राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही योजनाओं के अलावा केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है और गरीबी की रेखा से नीचे